

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम		मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य ।			
2.	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम		कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी, संभाग धमतरी, छत्तीसगढ़ ।			
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग		मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु ।			
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल		
		धमतरी	धमतरी	मगरलोड एवं नगरी ब्लॉक के अधीनस्थ उत्तर सिंगपुर, दक्षिण सिंगपुर, केरेगांव एवं दुगली वन परिक्षेत्र ।		
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण					
	क. संरक्षित वन		निरंक			
	ख. आरक्षित वन	क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड / ग्राम का नाम	कक्ष क्र.	रकबा हे. में
		1	उत्तर सिंगपुर	एनआरएफ बेलोरा पार्ट	57	0.733
		2		राजाडेरा	55	3.120
		3		166 गोबरापठार गिलोराडीह	71	1.767
		4		166 गोबरापठार गिलोराडीह	39	1.767
		5		कैवराडीह	60	2.040
		6		एन.आर.एफ. बेलोरा	58	0.733
		7		कैवराडीह	61	1.080
				योग:-		11.240
		8	दक्षिण सिंगपुर	उत्तर सिंगपुर	74	0.955
		9		सिंगपुर	78	3.297
		10		177 उमरादाह आलसा	76	1.399
		11		166 गोबरापठार गिलोराडीह	77	3.979
		12		166 गोबरापठार गिलोराडीह	38	6.041
		13		177 उमरादाह आलसा	87	0.259
				योग:-		15.930

		14	करेगांव	कुसुमखुंटा	63	0.881	
		15		पश्चिम बिरझुली	64	0.596	
		16		पारधी	69	1.527	
				योग:—		3.004	
		17	दुगली	उमरदरहा	254	1.564	
		18		उमरदरहा	258	1.761	
		19		उमरदरहा	258A & 266A	0.725	
		20		उमरदरहा	259	1.457	
		21		उमरदरहा	260	2.292	
				योग:—		7.799	
				कुल योग:—			
			ग. आरेंज एरिया	निरंक			
घ. राजस्व वन क्षेत्र	निरंक						
महायोग :—				37.973			
06.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित					
		साईट क्वालिटी III-IVA					
		घनत्व 0.4 से 0.6					
07.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रजाति	कुल वृक्षों की संख्या				
		सागौन	26				
		साल	38				
		बीजा,शीशम,तिलसा,खम्हार	23				
		साजा,अर्जुन	210				
		हन्दू,मुण्डी,कसई	37				
		अन्य	2164				
		योग:—	2498				
08.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य					
09.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	उक्त प्रस्ताव मेघा—सिंगपुर—दुगली मुख्य मार्ग के अंतर्गत ही है, जिसका आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य किया जाना है।					

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	आवेदित क्षेत्र की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत वाटर बाड़ी उपलब्ध विवरण निम्नानुसार है:-		
		वाटरबाड़ी का विवरण		
		क्र	नाम	जल भराव क्षमता (मि.घन.मी.)
		1	बेलोरा जलाशय 20°42'25.40"N, 81°49'38.80"E	2.830
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	2	बकोरी जलाशय 20°41'43.23"N, 81°51'34.25"E	3.550
		3	राजाडेरा जलाशय 20°42'12.16"N, 81°54'27.94"E	7.431
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग पूर्व से निर्मित मार्ग है। उक्त मार्ग का आवेदक संस्थान के द्वारा उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत पंजीयन कराया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है तथा प्रस्तावित क्षेत्र के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।		
		नहीं, प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।		

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई 37.973 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन (मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य) हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- धमतरी जिला के धमतरी वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत उत्तर सिंगपुर, केरेगांव, दक्षिण सिंगपुर एवं दुगली वन परिक्षेत्र के आवेदित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 57,55,71,39,60,58,61,38,74,76,77,78,87,63, 64,69,254,258,259,260,258A&266A ।

दिनांक : 11/05/2023

स्थान : धमतरी

विश्वेश कुमार (भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमण्डल धमतरी

**संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग— 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :- CG-019/2022

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।			
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़			
II	जिला	धमतरी			
III	वन मंडल	धमतरी वनमंडल			
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल	37.973 हे.			
V	वन की वैधानिक स्थिति	आरक्षित वन			
VI	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.6			
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.,एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए ।	मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में प्रकरण अंतर्गत मार्ग संरेखण के 16 मीटर ROW में कुल 2498 वृक्ष प्रभावित हो रहा है। वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार गणना प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 45 में संलग्न है।			
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।			
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वनेत्तर भूमि वन सीमा के अंदर हैं।			
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व , हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग नहीं हैं।			
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	वनस्पति का नाम			
		प्राणीजात का नाम			
		दुर्लभ	संकटापन्न	दुर्लभ	संकटापन्न
		चिरायता, सतावर, सफेद मुसली, काली मुसली, चरोटा, मगरलोठा, नागकेशर, विधारा, तेन्दु	भुई आंवला, मोलकांगनी, गुंजर, बायडिंग	भालू, चीतल, लोमड़ी,, लकड़बगघ्या, कोटरी, शाही, काला तेन्दुआ, सालखपरी, पेंगालीन, कबरबीज्जू	तेन्दुआ
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।			

2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग पूर्व से निर्मित मार्ग है। उक्त मार्ग का आवेदक संस्थान के द्वारा उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत पंजीयन कराया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।										
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं, प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।										
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा											
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में बिगड़े वनों के सुधार के तहत 76.000 हे. वनभूमि का निम्नानुसार चयन किया गया है:- <table><tr><td>वनमंडल का नाम</td><td>परिक्षेत्र का नाम</td><td>वैधानिक स्थिति</td><td>कक्ष क्रमांक</td><td>प्रस्तावित रकबा हे. में</td></tr><tr><td>महासमुंद</td><td>पिथौरा</td><td>आरक्षित वन</td><td>287</td><td>76.000</td></tr></table>	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वैधानिक स्थिति	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित रकबा हे. में	महासमुंद	पिथौरा	आरक्षित वन	287	76.000
वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वैधानिक स्थिति	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित रकबा हे. में								
महासमुंद	पिथौरा	आरक्षित वन	287	76.000								
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न है।										
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यनवयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में बिगड़े वनों के सुधार के तहत 76.000 हे. वनभूमि का 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 की दर राशि रुपये 9,66,666/- से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।										
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	76.000 हेक्टेयर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 की दर रु. 9,66,666/- के मान से स्थल विशेष सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रुपये 7,34,66,616/- परिव्यय का आकलन किया गया है।										
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिक्षेत्र पिथौरा, उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा, वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा दिया गया है, जो वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न है।										
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 1 (XI,XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	पेज नंबर 120 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।										
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल											
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	408193.000 हेक्टेयर										
II	जिले का वनक्षेत्र	212554.000 हेक्टेयर										
	आरक्षित वन	205632.000 हेक्टेयर										
	संरक्षित वन	6922.000 हेक्टेयर										

	असीमांकित वन	—
	योग :-	212554.000 हेक्टेयर
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	18 प्रकरण रकबा 588.207 हेक्टेयर
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	1223.442 हेक्टेयर
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
(ख)	वनेत्तर भूमि पर ।	89.044 हे०
V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
	क. वनभूमि पर	1134.398 हे०
	ख. वनेत्तर भूमि पर	89.044 हे०
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	धमतरी जिले के इस वनमंडल अंतर्गत मगरलोड ब्लॉक एवं नगरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में आवागमन/परिवहन की सुगम व्यवस्था तथा जनहित में मार्ग उन्नयन उपयोगी होने के कारण प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 11/05/2023
स्थान : धमतरी


विश्वेश कुमार (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल धमतरी

निरीक्षण टीप दिनांक 11.05.2023

(भाग 2 के बिन्दु क्रमांक 5)

- प्रस्तावित परियोजना का नाम – मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य ।
- परियोजना में प्रभावित वनभूमि – 37.973 हेक्टेयर
- पंजीयन क्रमांक/दिनांक – क्रमांक-FP/CG/ROAD/151953/2022
- परियोजना में प्रभावित स्थल का विवरण –

वन का प्रकार	रकबा (हे.)
आरक्षित वन	37.973
संरक्षित वन	0.000
राजस्व वन क्षेत्र	0.000
योग :-	37.973

- प्रस्तावित क्षेत्र का वन घनत्व – 0.4 से 0.6
- प्रस्तावित क्षेत्र वन की साईट क्वालिटी – III / IVA
- प्रस्तावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विवरण –

प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 37.973 हे. के एवज में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप बिगड़े वनों के सुधार के तहत महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 287 में 76.000 हे. वनभूमि का चयन किया गया है। उक्त चयनित वनभूमि में 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 की दर राशि रुपये 8,78,787/- से तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

- भाग 2 के कॉलम नं. 1 (XI, XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए टीप-

धमतरी वनमंडल के उत्तर सिंगपुर, दक्षिण सिंगपुर, केरेगांव एवं दुगली वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य (मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य) हेतु प्रस्तावित वनभूमि के आस-पास दुर्लभ, संकटापन्न प्रजाति के वनस्पति एवं प्राणिजात पाये जाते, जिसका विवरण पेज नं. 114 में है। प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का पुरातत्वीय, पारंपरिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रकरण में वनक्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

विश्वेश कुमार (भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी